हुक्म तामील
नंबर व
तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– **03/2019**
आर.सी.एम.एस. :– **2019/00059**
दायर तिथि :– **24.06.2019**
तारीख निर्णय :– **16.12.2019**

अपीलान्टस् :– रसीकलाल पुत्र मोतीजी, उम्र 54 वर्ष
निवासी – दुजाना
तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :– 1– सरपंच, ग्राम पंचायत, दुजाना, पं.स. सुमेरपुर (पाली)
2– मांगीलाल पुत्र मोतीजी, उम्र 59 वर्ष
3– प्रकाश पुत्र मोतीजी, उम्र 49 वर्ष
4– टीपु पत्नि मोतीजी, उम्र 80 वर्ष,
जतिगण – ब्राहमण, निवासीगण – दुजाना
तहसील–सुमेरपुर, जिला–पाली

उपस्थितिः–

1. **श्री अमृतलाल चौधरी अभिभाषक अपीलान्ट्स की ओर से।**

–:: आदेश ::– **दिनांकः– 16.12.2019**

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956</u>
<u>विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 31–03–1996 जो सरपंच ग्राम पंचायत दुजाना</u>

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के पति स्व. मोती पुत्र भूबाजी जाति ब्राहमण निवासी दुजाना व अन्य की खातेदारी भूमि ग्राम दुजाना पटवार क्षेत्र दुजाना, तहसील सुमेरपुर (पाली) में खसरा नं. 461, 462, 463, 464, 465, 466 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.2100 हैक्टेयर की आई हुई स्थित है, जिसमें स्व. मोती पुत्र भूबाजी का 1/6 हिस्सा निहित था। स्व. मोती पुत्र भूबाजी का स्वर्गवास होने पर उक्त खसरा नम्बर 461, 462, 463, 464, 465, 466 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.2100 हैक्टेयर के सम्बन्ध में उनके वारिसान् के नाम पटवारी हल्का दुजाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 627 भरा गया, जिसमे स्व. मोती पुत्र भूबाजी के वारिसान् के रूप में पटवारी हल्का दुजाना द्वारा मांगीलाल, रणछोड, प्रकाश पिता मोती, टीपु पत्नि मोती का नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात् उक्त नामान्तरकरण संख्या 627 ग्राम पंचायत दुजाना के तत्कालीन सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया। पटवारी हल्का दुजाना द्वारा स्व. मोती पुत्र भूबाजी के वारिसान् के रूप में मांगीलाल, रणछोड, प्रकाश पिता मोती, टीपु पत्नि मोती का नाम नामान्तरकरण संख्या 627 में सही रूप से दर्ज किया गया परन्तु अपीलाण्ट का नाम गलती से उसके घर में चल रहा नाम रणछोड नामान्तरकरण में दर्ज कर दिया। जबकि अपीलाण्ट का वास्तविक एवं सही नाम रसीकलाल है। अपीलाण्ट का स्कूल रेकर्ड में भी नाम रसीकलाल दर्ज था और अपीलाण्ट के तमाम दस्तावेज जैसे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड में भी अपीलाण्ट का नाम रसीकलाल दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा मोतीजी पुत्र भूबाजी के वारिसान् के रूप में दर्ज किये गये अपीलाण्ट के गलत नाम बाबत् किसी प्रकार की जांच किये बिना सरपंच ग्राम पंचायत दुजाना द्वारा उक्त नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 31.03.1996 गलत रूप से स्वीकृत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

............................लगातार पेज 2

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है एवं ग्राम दुजाना, तहसील सुमेरपुर के खसरा नं. 461, 462, 463, 464, 465, 466 कुल खसरा 6 कुल रकबा 5.2100 हैक्टेयर भूमि बाबत भरे गये नामान्तरकरण संख्या 627 दिनांक 31.03.1996 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देश दियें जाते है कि नामान्तरकरण संख्या 627 में जांच कर अपीलाण्ट का सही नाम का इन्द्राज दर्ज करें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2019.12.24 16:52:22 IST
Reason: SelfAttested
Location: